

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सं०सं०-अ०सां०नि०/स्था०-12-08/2018 26. /पटना, दिनांक.....|8.03.2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०से०)
निदेशक,

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा, बांका, सुपौल एवं समस्तीपुर।



विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय योजनागत योजना फसल सांख्यिकी सुधार के निमित्त योजना के अन्तर्गत ₹ 20,19,938/- (बीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ अड़तीस रुपये) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2018 पर दिनांक 06.12.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) नई दिल्ली के Ministry's O.M No. G. 30011/8/2016-EA Dated 15th May 2018 द्वारा मुख्य शीर्ष-3454- के उपशीर्ष 0409 फसल सांख्यिकी सुधार के निमित्त योजना शीर्ष में ₹28.98 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु पुनर्वैधकृत किया गया तथा Ministry's O.M No. G. 20011/1/2018-EA Dated 14th March, 2018 द्वारा उक्त शीर्ष के अन्तर्गत चतुर्थ किस्त के रूप में ₹20,00,000/- विमुक्त की गई है।
3. कंडिका 2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विमुक्त की गई राशि की सीमा तक राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।
4. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0409-फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022040409 है।
6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 4 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-शेखपुरा, बांका, सुपौल एवं समस्तीपुर होंगे, जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी/व्यय करेंगे।
7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

  N/

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 08वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
 निदेशक 18/03

बजट सहायक 18/03/19
 प्रशाखा पदा० 18/03/19
 उप निदेशक 18/03/19
 संयुक्त नि०(प्र०) 18/03/19

ज्ञापांक26...../पटना, दिनांक18.03.2019

- प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 18/03

ज्ञापांक26...../पटना, दिनांक18.03.2019

- प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी शेखपुरा, बांका, सुपौल एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 18/03

ज्ञापांक26...../पटना, दिनांक.....18.03.2019

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (कृषि), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
 3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत शाखा को निर्गत करने एवं गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु प्रेषित।
 4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करने एवं निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक 18/03

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0409-फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040409 है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	कुल योग
1	शेखपुरा	234000	27400	14100		3000	0	278500	0	19950	298450
2	बांका	341530	51580	21378	20000	4000		438488	40000	25000	503488
3	सुपौल	480800	27300	19900		4000		532000	95000	25000	652000
4	समस्तीपुर	476000	44500	38500		7000		566000	0	0	566000
	कुल योग:-	1532330	150780	93878	20000	18000	0	1814988	135000	69950	2019938

जिला सांख्यिकी कार्यालय

बजट सहायक

प्रशासक पदां

उप निदेशक (लक्ष्मी)

संनिदेश (प०)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक